झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

इंटर की स्थायी प्रस्वीकृति हेतु निर्धारित शर्तों से संबंधित विहित प्रपत्र :–
(झारखण्ड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 एवं अनुवर्ती संशोधन नियमावली, 2006 तथा संयुक्त सचिव के पत्रांक 1067 दिनांक 28.03.2009 पर आधारित)

1. महाविद्यालय का नाम एवं पता :–

   दूरभाष :–

2. स्थापना अनुज्ञा पत्रांक / दिनांक :–

   (पत्र की छायाप्रति संलग्न)

3. महाविद्यालय को संचालित करने वाली सोसाईटी का नाम :–

क्र0 सं0	प्रस्वीकृति की शर्तें	शर्त्तों के अनुपालन की स्थिति
4.	क्या प्रस्तावित महाविद्यालय किसी निबंधित न्यास, निकाय, सोसाईटी से संचालित है ? क्या महा0 को प्रस्तावित करने वाला निकाय अथवा न्यास, सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21,1860 के अधीन निबंधित हुआ है ? (साक्ष्य स्वरूप संस्था का निबंधन प्रमाण पत्र, स्मृति पत्र एवं नियमावली की छायाप्रति संलग्न की जाय)	
5.	प्रस्तावित संस्था की कार्यकारिणी के सदस्यों के नाम एवं पता	क्रमांक नाम पता पदनाम
6.	क्या महाविद्यालय को प्रस्तावित करने वाला न्यास, निकाय अथवा सोसाईटी की आवर्तक वार्षिक आय पर्याप्त- है जिससे कि विद्यालय संचालन और कर्मियों का वेतनादि भुगतान करने के लिए उक्त संस्था सक्षम है ? (महाविद्यालय की वार्षिक व्यय का व्यौरा संलग्न किया जाय। महाविद्यालय को प्रस्तावित करने वाली संस्था का वार्षिक आय–व्यय का व्यौरा अंकेक्षित लेखा सहित संलग्न की जाय)	
7.	क्या स्थापना अनुज्ञा प्राप्त करने के बाद महाविद्यालय एक वर्ष का सफल संचालन कर लिया है ? यदि हाँ तो वे प्रस्वीकृति हेतु आवेदन दे सकते हैं। (प्रमाण के साथ)	

8.	अगर पूर्व में प्रस्वीकृति प्राप्त किया हो तो उसका पत्रांक.................. .... दिनांक....................................(प्रमाण के साथ)	
9.	भूमि–क्या प्रस्तावित महाविद्यालय ने ग्रामीण क्षेत्र में एक खण्ड में न्यून्तम 2 (दो) एकड़ तथा शहरी क्षेत्र में न्यून्तम 1 (एक) एकड़ भूमि महाविद्यालय अथवा प्रस्तावित संस्था के नाम से निबंधित अथवा 30 (तीस) वर्षों के निबंधित लीज पर प्राप्त कर लिया है ? **(साक्ष्य स्वरूप भूमि का निबंधित डीड, दाखिल खारिज, अद्यतन मालगुजारी एवं नक्शा की छायाप्रति संलग्न की जाय।)**	खाता नं० – .... प्लॉट नं० – .... रकवा – ....
10.	भवन–क्या प्रस्तावित महाविद्यालय ने छात्र/छात्राओं के लिए न्यून्तम 20' X 30' आकार का कम से कम 4 कमरा उपस्कर युक्त व्याख्यान कक्ष (कला संकाय के लिए), कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए 20' X 30' आकार का 6 उपस्कर युक्त व्याख्यान कक्ष तथा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के लिए 20' X 30' आकार का 8 उपस्कर युक्त व्याख्यान कक्ष का निर्माण करा लिया है ? इसके अतिरिक्त 1. प्राचार्य कक्ष – 20' X 30' –1 2. कार्यालय कक्ष – 20' X 30' –1 3. पुस्तकालय कक्ष – 25' X 40' –1 4. शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम – 20' X 30' –1 5. छात्रों के लिए कॉमन रूम – 20' X 30' –1 6. छात्राओं के लिए कॉमन रूम– 20' X 30' –1 7. प्रयोगशाला – 25' X 40' (प्रत्येक प्रायोगिक विषय के लिए अलग–अलग) **(लीज या किराया पर भवन लेने की स्थिति में निबंधित डीड/एकरारनामा की छायाप्रति संलग्न की जाय। अपना भवन होने की स्थिति में भवन का प्रमाणित फोटो तथा अभियंता द्वारा प्रमाणित नक्शा जिसमें कमरों की लम्बाई तथा चौड़ाई का उल्लेख हो की छायाप्रति संलग्न की जाय। निबंधित भूमि पर ही भवन के अवस्थित होने का प्रमाणक भी संलग्न किया जाय)**	
11.	क्या प्रस्तावित महाविद्यालय ने छात्रों के कल्याण के लिए उचित व्यवस्था की है ?	
12.	खेल सामग्री :– क्या प्रस्तावित महाविद्यालय के पास खेल का मैदान और खेलकूद की उचित सुविधाएँ उपलब्ध है ? **(सचिव एवं प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित सूची संलग्न की जाय।)**	

13.	**पुस्तकालय** :– क्या प्रस्तावित महाविद्यालय के पास परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर अनुमोदित सूची के अनुसार कम से कम 50,000/– मात्र की पुस्तकें उपलब्ध है ? **(सचिव एवं प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित सूची संलग्न की जाय।)**	
14.	**प्रयोगशाला** :– क्या प्रस्तावित महाविद्यालय के पास परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रयोग हेतु आवश्यक उपकरण/रसायन है ? (जिनकी विशिष्टता एवं संख्या 100 छात्रों की इकाई के लिए निर्धारित है) **(प्रयोगशाला में संप्रति उपलब्ध सामग्री एवं उपस्कर/उपकरणों की अभिप्रमाणित सूची संलग्न की जाय।)**	
15.	**सुरक्षा कोष** :– क्या प्रस्तावित महाविद्यालय ने परिषद् में सुरक्षा कोष के रूप में प्रथम संकाय के लिए रू0 1.00 लाख (एक लाख रूपये) तथा अन्य प्रत्येक अतिरिक्त संकाय के लिए रू0 25,000/– (पच्चीस हजार रू0) जमा कर दिया है ? (परन्तु जनजातीय क्षेत्र में अवस्थित महाविद्यालय के लिए प्रथम संकाय के लिए 50,000/– तथा वाणिज्य संकाय के लिए 10,000/– तथा विज्ञान संकाय के लिए 15,000/– जमा कर दिए हो)	
16.	क्या प्रस्तावित महाविद्यालय के पास कर्मियों के वेतन भुगतान पर तथा पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपस्कर एवं भवन के रख–रखाव एवं अन्य आकस्मिकताओं पर होने वाले आवर्तक व्यय का वहन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध है ? **(साक्ष्य स्वरूप महाविद्यालय के वार्षिक आय, व्यय एवं सुरक्षित कोष की विवरणी संलग्न की जाय।)**	
17. (I)	**शिक्षकों की नियुक्ति** :– क्या प्रस्तावित महाविद्यालय में प्रत्येक विषय में समुचित संख्या में सुयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है ? (शिक्षकों की संख्या राज्य सरकार द्वारा इसके 10+2 विद्यालयों के लिए निर्धारित मानक के अनुसार ही होगी) **(कोटिवार विवरणी संलग्न किया जाय।)**	
17. (II)	**प्राचार्य की योग्यता**– मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर, बी0एड0 एवं नियमावली में निर्धारित योग्यता।	

	कार्य अनुभव– डिग्री महाविद्यालय में 07 (सात) वर्षों का अथवा किसी मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय/इंटर महाविद्यालय में 12 (बारह) वर्षों का शिक्षण अनुभव। (प्राचार्य का नाम, अहर्त्ता, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, नियुक्तिकर्त्ता, स्नातकोत्तर उतीर्ण प्रतिशत, नियुक्ति स्थायी/अस्थायी सूची संलग्न करें) **(शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ विवरणी संलग्न करें।)**	
17. (III)	**शिक्षकों की योग्यता–** शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 45 प्रतिषत अंक एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त बी0एड0 (राज्य सरकार/राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् द्वारा अधिमान्य) की योग्यता न्यूनतम योग्यता होगी। (विषयवार शिक्षकों की सूची, नाम, अहर्त्ता, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, स्नातकोत्तर उतीर्ण प्रतिशत, नियुक्ति, स्थायी/अस्थायी (वेतन वेतनमान) के साथ सूची संलग्न करें) **(शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ विवरणी संलग्न करें।)**	
17. (IV)	अगर संस्था में शिक्षक को बी0एड0 की डिग्री प्राप्त नहीं है तो उन्हें अधिकत्तम 3 वर्षो का समय दिया जायेगा, यदि शिक्षक इस अवधि की समाप्ति तक बी0एड0 की योग्यता प्राप्त नहीं करते हैं तो संस्था की स्थायी प्रस्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।	
17. (V)	संस्था में स्वीकृत पद पर कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के नाम, पदनाम, योग्यता, नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि सहित सूची संलग्न करें –	

क्र0 सं0	पद का नाम	संख्या	योग्यता
1	प्रधान लिपिक	01	स्नातक
2	लेखापाल	01	बी0कॉम
3	रोकड़पाल	01	बी0कॉम
4	पुस्तकाध्यक्ष	01	स्नातक डिप्लोमाइन लाईब्रेरी साईंस
5	दिनचर्या लिपिक सह टंकक	01	स्नातक
6	शारीरिक शिक्षा अनुदेशक	01	डिप्लोमाइन फिजिकल एजुकेशन
7	प्रयोगशाला सहायक सह भंडारपाल	प्रत्येक विषय मे एक एक	स्नातक विज्ञान/संबंधित विषय में स्नातक
8	प्रयोगशाला वाहक	प्रत्येक विषय मे एक एक	इंटर विज्ञान/संबंधित विषय में इंटर
9	आदेशपाल	07	मैट्रिक/नन-मैट्रिक
10	स्वीपर	02	साक्षर (पढ़ना लिखना जानता हो)

(सचिव एवं प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित सूची संलग्न की जाय।)

17. (VI)	अधिनियम के प्रावधानों के अधीन महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार की जायेगी।	
17. (VII)	शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए अपेक्षित अहर्त्ताएँ एवं अन्य सेवा शर्तें वही होंगी, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से परिषद् द्वारा विहित की जायेगी।	
18.	कला एवं विज्ञान संकाय को मिलाकर प्रथम वर्ष में कम से कम 100 छात्रों का नामांकन होना चाहिए। वाणिज्य के लिए न्यून्तम संख्या 32 होगी। (कला या विज्ञान में किसी ऐसे विषय में प्रस्वीकृति नहीं दी जायेगी जिसमें प्रथम वर्ष में छात्र संख्या 16 से कम हो) प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष सत्र कला – .... विज्ञान – .... वाणिज्य –	
19.	संकायों एवं विषयों का विवरण दें जिनकी प्रस्वीकृति का अनुरोध है :– कला – विज्ञान – वाणिज्य –	

नोटः– स्थापना प्राप्त संस्था एक वर्ष के सफल संचालन के बाद ही प्रस्वीकृति हेतु आवेदन देने के लिए पात्र होगी।

संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या
का हस्ताक्षर एवं मुहर

महाविद्यालय को प्रस्तावित करने वाली
संस्था के सचिव का हस्ताक्षर एवं मुहर